



कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद भदोही



सी.यू.जी. - 9454400307,

दूरभाष- 05414-250236,

ई-मेल- spsrn-up@nic.in

प्रेस-नोट, जनपद भदोही

दिनांक- 04.03.2026

◆रंगों के त्योहार में नहीं चलेगी गुंडागर्दी, सतर्क पुलिस ने मोबाइल छीनने वाले बदमाशों को दबोचा, होली होगी सुरक्षित, अपराधी होंगे सलाखों के पीछे!"

◆"होली के हड़दंग में खलल डालने वालों पर पुलिस की पैनी नजर, झपटमारों की गिरफ्तारी से सुरक्षित हुआ शहर, सुरक्षित होली, खुशहाल होली!"

◆थाना दुर्गागंज/औराई पुलिस द्वारा आवागमन कर रहे राहगीरों से झपट्टा मारकर मोबाइल एवं लॉकेट (पीली धातु) छिनैती करने वाले कुल 07 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अलग-अलग घटनाओं पर पंजीकृत अभियोग से संबंधित छिनैती का कुल 04 मोबाइल एवं घटना में प्रयुक्त कुल 03 मोटरसाइकिल बरामद

1.थाना दुर्गागंज पर आवेदक दिलीप कुमार पुत्र चन्देश कुमार ग्राम सराय भाव सिंह पो० एकौनी थाना दुर्गागंज, जनपद भदोही द्वारा सूचित किया गया कि दिनांक 06/01/2026 को शाम 05.40 PM पर मेरा भतीजा अंकित कुमार पुत्र बबलू कुमार साइकिल से छनौरा बाजार जा रहा था। छनौरा बाजार से पहले नहरे से 100 मी० पहले दो अज्ञात व्यक्ति बाइक से मेरे भतीजे के हाथ से मोबाइल छिनकर छनौरा बाजार के तरफ भाग गये।

2.थाना औराई पर आवेदिका आंचल पत्नी राजा द्वारा सूचित किया गया कि मैं अपने मायके नेवादा से खमरिया अपने पती के साथ दिनांक 13-04-2025 को समय रात्रि में करीब 12 बजे जा रही थी, कि भमौरा भट्टा के पास अज्ञात मोटर साइकिल सवार बदमाशों द्वारा लगभग एक ग्राम सोने का लाकट व मोबाइल छिन लिया गया।

3.थाना- औराई आवेदक उमाशंकर यादव पुत्र अमरनाथ यादव निवासी वारीगांव थाना औराई जनपद भदोही द्वारा सूचित किया गया कि मैं दिनांक 20.02.2026 को समय करीब 0.15 बजे रात्रि में अपने गांव से कोठरा जा रहा था कि कोठरा पहुँचते ही बाइक सवार 03 व्यक्ति नाम पता अज्ञात मेरी सैमसंग गैलेक्सी मोबाइल झपट्टा मार कर लेकर भाग गये।

4.थाना औराई पर आवेदक रमेश कुमार पुत्र सालिक राम ग्राम महदेपुर थाना औराई जनपद भदोही द्वारा सूचित किया गया कि दिनांक 26.02.2026 को माधोसिंह रेलवे क्रासिंग के तरफ से सायंकाल से औराई कि तरफ आ रहा था कि मोटरसाइकिल सवार तीन व्यक्तियों नाम पता अज्ञात द्वारा मेरा मोबाइल झपट्टा मारकर लेकर भाग गए।

उपरोक्त घटनाओं से संबंधित प्राप्त तहरीर के आधार पर क्रमशः स्थानीय पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 04/26 धारा 304(2) बीएनएस थाना दुर्गागंज एवं मु0अ0सं0- 168/25, मु0अ0सं0- 66/26, मु0अ0सं0- 64/26 धारा 304(2) बीएनएस थाना औराई का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रचलित की गई।

श्री अभिमन्यु मांगलिक, पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा जनपद में चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था के दृष्टिगत चोरी/छिनैती की घटनाओं के शीघ्र अनावरण व पंजीकृत अभियोगों से सम्बंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निर्देश के क्रम में श्री शुभम अग्रवाल, अपर पुलिस अधीक्षक भदोही के पर्यवेक्षण में दिनांक 03.03.2026 को क्रमशः थाना दुर्गागंज एवं औराई पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना दुर्गागंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 04/26 धारा 304(2) बीएनएस से संबंधित प्रकाश में आए थाना दुर्गागंज से संबंधित वरुणा पुल बॉर्डर के पास से 02 अभियुक्तों एवं थाना औराई पर पंजीकृत मु0अ0सं0 168/25 धारा 304(2) बीएनएस से संबंधित कोहिनूर कालीन कम्पनी नटवा के पास हाइवे से 02 अभियुक्तों एवं मु0अ0सं0 66/26 एवं

मु0अ0सं0 64/26 धारा 304(2) बीएनएस से संबंधित बारीगाँव रोड बाईपास के पास से 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए कब्जे से पंजीकृत अभियोग से संबंधित छिनैती का कुल 04 मोबाइल एवं घटना में प्रयुक्त कुल 03 अदद मोटरसाइकिल बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई है। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर पंजीकृत अभियोगों का सफल अनावरण करते हुए थाना दुर्गागंज एवं औराई पर पंजीकृत अभियोगों में धारा-317(2) बी.एन.एस की बढ़ोत्तरी करते हुए विधिक कार्यवाही की गई।

पूछताछ का विवरण:-

थाना दुर्गागंज से संबंधित अभियुक्तों से पूछताछ

गिरफ्तार व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि हम दोनों लोग इसी मोटरसाइकिल से दिनांक 06.01.2026 को सायं 5.50 से 6:10 बजे के बीच छनौरा बाजार से पहले एक व्यक्ति से मोबाइल फोन छीन लिये थे। यह वही मोबाइल फोन है। जो मेरे पास से बरामद हुआ है। आप लोगों को देखकर पकड़े जाने की डर से भागने की फिराक में थे कि आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया।

थाना औराई से संबंधित अभियुक्तों से पूछताछ

1. दिनांक 13/04/2025 को हम लोगों ने एक महिला से झपट्टा मार कर उसका मोबाइल व लाकेट सोने का भमौरा भट्टा के पास छीन लिये थे वही मोबाइल मेरे ही पास है तथा जो सोने का लाकेट झपट्टा मारकर छीने थे रास्ते में एक राह चलन्तू व्यक्ति को ₹3000/- रूपये में बेच दिये थे। जो खाने-पीने में खर्चा हो गया है। आप लोगों को देखकर पकड़े जाने की डर से भागने की फिराक में थे कि आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया।

2. दिनांक 20.02.26 को हम तीनों लोगों ने एक व्यक्ति से झपट्टा मार कर उसका मोबाइल कोठरा के पास से छीन लिये थे तथा दिनांक 26.02.26 को कठारी शराब के दुकान के पास से एक व्यक्ति का मोबाइल हम तीनों लोग एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर झपट्टा मार कर छीन लिये थे जो हम लोगो के पास में है। इसी डर की वजह से हम लोग पुलिस को देख कर भागना चाह रहे थे कि आप लोगो ने पकड़ लिया।

उपरोक्त सभी अभियुक्त मोटरसाइकिल पर सवार होकर आने जाने वाले राहगीरों से झपट्टा मार कर मोबाइल छीन लेते हैं। तथा वहां से भाग जाते हैं। छीनी हुयी मोबाइलों को बेच कर अपने शान शौक को पूरा करते हैं। इसके पहले भी इनके द्वारा कई मोबाइल छीना गया है। जिसको आने जाने वाले लोगों को अचानक-पौने दामों पर बेच दिया जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

मु0अ0सं0 04/26 थाना दुर्गागंज से संबंधित अभियुक्त

1. शनि पटेल पुत्र समलु पटेल निवासी ग्राम अभौली गोरखा थाना सुरियावां जनपद भदोही उम्र करीब 19 वर्षी
2. अजीत पटेल पुत्र रामजी पटेल निवासी अभौली गोरखा थाना सुरियावाँ जनपद भदोही उम्र करीब 20 वर्षी

मु0अ0सं0 168/25 थाना औराई से संबंधित अभियुक्त

1. दिन्नी नट पुत्र मटरू नट निवासी जोगियापुर थाना मिर्जामुराद जनपद वाराणसी उम्र लगभग 23 वर्षी
2. दिनेश यादव पुत्र बैजनाथ यादव निवासी जोगियापुर थाना मिर्जापुर जिला वाराणसी उम्र लगभग 39 वर्षी

मु0अं0सं0 66,64/2026 थाना औराई से संबंधित अभियुक्त

3.दीन दयाल सरोज पुत्र गुरु दयाल सरोज निवासी ग्राम कैयरमऊ नयी बस्ती थाना औराई जनपद भदोही उम्र करीब 18 वर्ष

4.मृदुल पाण्डेय पुत्र अनिल पाण्डेय निवासी ग्राम पारानापुर थाना औराई जनपद भदोही उम्र करीब 18 वर्ष

5.विनीत कुमार सरोज पुत्र अमित कुमार सरोज निवासी ग्राम मटकीपुर थाना औराई जनपद भदोही उम्र करीब 19 वर्ष

बरामदगी

1.थाना दुर्गागंज द्वारा पंजीकृत अभियोग से संबंधित छिनैती का 01 अदद मोबाइल एवं घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाइकिल बरामद।

2.थाना औराई द्वारा अलग-अलग घटनाओं पर पंजीकृत अभियोगों से संबंधित छिनैती का कुल 03 अदद मोबाइल एवं घटना में प्रयुक्त 02 अदद मोटरसाइकिल बरामद।

अनावरण अभियोग:-

1.मु0अ0सं0 04/26 धारा 304(2) बढोतरी धारा 317(2) BNS, 207 एमवी एक्ट थाना दुर्गागंज जनपद भदोही

2.मु0अ0सं0 168/25 धारा 304(2) बढोतरी धारा 317(2) BNS, 207 एमवी एक्ट थाना औराई जनपद भदोही

3.मु0अं0सं0 66/2026 धारा 304 (2) बीएनएस व मु0अ0सं0-64/26 धारा 304(2) बीएनएस व 207 एमबी एक्ट तथा बढोतरी धारा 317(2) बीएनएस थाना औराई जनपद भदोही

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम

टीम -1 उ0नि0 सारनाथ सिंह यादव, हे0का0 मुलायम सिंह यादव, हे0का0 शैलेश कुमार व का0 बलराम यादव थाना दुर्गागंज जनपद भदोही।

टीम -2 उ0नि0 मो0 ऐस खाँ उ0नि0 सुल्तान अहमद, हे0का0 अजय कुमार, हे0का0 सन्तोष कुमार यादव, हे0का0 सुनील रावत व का0 इमरान खान थाना औराई जनपद भदोही।

टीम -3 उ0नि0 विजय कुमार सरोज, उ0नि0 श्री छोटे लाल, हे0का0 संदीप कुमार, का0 आलोक कुमार यादव, का0 राहुल कुमार थाना औराई जनपद भदोही।



